IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 745/2023
(I.A. NO.503/2024, I.A. NO.431/2024)

MAMTA SHARMA ...APPLICANT

Versus

GRAM PANCHAYAT ARRANA & ORS. ...RESPONDENT

INDEX

S.NO	**PARTICULARS**	**PAGE NO.**
1.	REPLY ON BEHALF OF DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER, ALIGARH, UTTAR PRADESH TO THE REJOINDER FILED BY THE APPLICANT ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.	3-9
2.	**ANNEXURE 1.** Copy of letter no. 2357 Dated 31.07.2024 informing the Applicant about the formation of the Joint Committee and scheduled inspection.	10
3.	**ANNEXURE 2.** Photographic evidence of site inspection conducted on 07.08.2024, showing the presence of the Applicant and officials.	11-17
4.	**ANNEXURE 3.**	

	Technical schematics/approvals for the Grit Chamber, sand filtration system, and associated infrastructure.	18-19
5.	**ANNEXURE 4.** Joint Committee Inspection Report dated 24.08.2024.	20-21
6.	**ANNEXURE 5** A copy of the UPPCB Analysis Report dated 18.11.2024 along with 09.12.2024 report of Uttar Pradesh Jal Nagar Nigam, confirming significant reduction in coliform levels.	22-26

THROUGH

Date:10.01.2024
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 745/2023
(I.A. NO.503/2024, I.A. NO.431/2024)

MAMTA SHARMA ...APPLICANT

Versus

GRAM PANCHAYAT ARRANA & ORS. ...RESPONDENT

REPLY ON BEHALF OF DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER, ALIGARH, UTTAR PRADESH TO THE REJOINDER FILED BY THE APPLICANT ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

That the answering Respondents deny each and every statement, contention, submission, allegation, and/or averment made by the Applicant in the Rejoinder, which is contrary to or inconsistent with the present reply or the records of the case. It is categorically stated that all such statements, submissions, or averments made by the Applicant that are inconsistent with what is submitted in this reply are denied in totality, except those which are specifically and expressly admitted hereinafter. Furthermore, it is submitted that any omission to deny any of the averments made by the Applicant should not be construed as an admission on the part of the answering Respondent, and no adverse inference should be drawn from such omissions.

PRELIMINARY OBJECTIONS/SUBMISSIONS

1. That the present reply is most respectfully submitted on behalf of the District Panchayat Raj Officer, Aligarh, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "Answering Respondent") in response to the Rejoinder dated 07.12.2024 filed by the Applicant, and the same may be read in continuation of all pleadings, submissions, and documents already placed on record before this Hon'ble Tribunal.

2. That at the very outset, it is submitted that the Applicant has not approached this Hon'ble Tribunal with clean hands and has willfully suppressed or distorted material facts relating to the formation of the Joint Committee, the site inspection conducted on 07.08.2024, and subsequent measures undertaken to address environmental concerns in Gram Sabha, Arrana. It is denied that there is any illegality or wrongdoing on part of the Answering Respondent.

3. That the Applicant was duly informed about the constitution of the Joint Committee and the scheduled inspection vide office letter no. … dated … issued by the competent authority. The said inspection was carried out in the presence of officials from various departments, including the District Panchayat Raj office, the Regional Officer of the Pollution Control Board, the District Development Officer, and the Executive Engineer of the Rural Engineering Department, among others. Copy of office letter no. 2357 Dated 31.07.2024 is being filed herewith and marked as **ANNEXURE -1**.

4. That the Applicant's presence at the site on 07.08.2024 is evident from photographs taken during the inspection The Applicant's residence is located merely 100–150 meters from the pond, making it highly improbable for the Applicant to remain uninformed about such a crucial inspection. Hence, the assertion of lack of

awareness or communication is vehemently denied. Photographic evidence of the inspection is being filed herewith and marked as **ANNEXURE -2**.

5. That with respect to the treatment of black and grey water in Gram Sabha, Arrana, the Grit Chamber, sand filtration system, and allied infrastructure have been installed in accordance with the guidelines under the Swachh Bharat Mission. The resultant treated water, eventually collecting in the pond, has been tested by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and found suitable under Category 'C', i.e., fit for irrigation purposes. Technical schematics and approvals for the said infrastructure are being filed herewith and marked as **ANNEXURE -3**

6. That the Joint Committee's findings and recommendations have been documented in its Inspection Report which were duly communicated to the Gram Pradhan and Gram Secretary for implementation. Contrary to the Applicant's claims, there is no unbearable odor emanating from the pond, nor is the water unfit for agricultural use. A copy of the Joint Committee Inspection Report dated is being filed herewith and marked as **ANNEXURE -4**.

7. That the UPPCB Analysis Report dated 06.11.2024 along with 09.12.2024 report of Uttar Pradesh Jal Nagar Nigam confirms a marked reduction in fecal coliform from 220,000 MPN/100 ml to 2,700 MPN/100 ml, and total coliform from 280,000 MPN/100 ml to 3,400 MPN/100 ml. The Applicant's contention that the pond water must invariably meet a threshold of 1,000 MPN/100 ml for irrigation is misplaced, since the relevant standards for Category 'C' water permit the usage of such treated water for agricultural purposes. A copy of the UPPCB Analysis Report dated 18.11.2024 along with 09.12.2024 report of Uttar Pradesh Jal Nagar Nigam is being filed herewith and marked as **ANNEXURE -5**

8. That it is necessary to highlight that the Applicant herself is residing on land recorded as agricultural, without undertaking conversion of land use, and allegedly employs discharged wastewater for a personal "mini kitchen farm," all without requisite clearances. This fact undermines the Applicant's claims of strict adherence to statutory requirements and casts doubt on the bona fides of her allegations.

9. That it is incorrect to state that the pond caters only to 18 houses; the pond actually receives wastewater from a larger number of households, while other gullies and drains have long been connected to different drainage systems. Plans for comprehensive wastewater management improvements in or around 2026 have already been proposed, aiming to further streamline sanitation and environmental standards in the village.

10. That the pond has been constructed with requisite permissions from various authorities, including an order from the Tehsildar's office. Allegations regarding illegality or damage to the "pious soil of Pilli Mitti" are untenable and lack any credible documentary proof. The use of a diesel pump was an interim measure; the transition to an electric pump is underway to minimize any ecological footprint.

11. That, in light of the above, the bald assertions of the Applicant regarding negligence or deliberate inaction on part of the Answering Respondent are wholly devoid of merit. All measures taken, spanning from inspection, design, construction of the pond, installation of wastewater treatment systems, to water quality testing—were directed at safeguarding public health, maintaining environmental hygiene, and adhering to applicable statutory frameworks.

12. That, therefore, this Hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the allegations levelled by the Applicant for being unfounded, misleading, and inconsistent with the

recorded facts. The Answering Respondent reiterates its commitment to compliance with any further directions this Hon'ble Tribunal may consider fit and proper in the interest of environmental preservation and public welfare.

13. That the Answering Respondent, being a law-abiding authority, craves leave of this Hon'ble Tribunal to file additional affidavits or documents if required and undertakes to abide by all directions that this Hon'ble Tribunal may be pleased to issue.

THROUGH

Date:10.01.2024
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 745/2023
(I.A. NO.503/2024, I.A. NO.431/2024)

MAMTA SHARMA ...APPLICANT

Versus

GRAM PANCHAYAT ARRANA & ORS. ...RESPONDENT

AFFIDAVIT

I, **MOHD. RASHID,** aged about 54 years s/o Lt. HAJI MOHD. UMAR is presently posted as **DISTRICT PANCHAYAT RAJ OFFICER, ALIGARH, UTTAR PRADESH** having an office at **VIKAS BHAWAN ALIGARH, UTTAR PRADESH.**

Presently at New Delhi

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying reply to the rejoinder has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying reply to the rejoinder are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY ★ INDIA GOVT. OF
RENU AGARWAL
Delhi
Regd. No. 17886

NOTARY RENU AGARWAL Delhi Regd. No. 17806 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this 13 JAN 2025 day of January 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

I identified the deponent who has signed in my presence

D/6004/2022

DEPONENT

ATTESTED NOTARY PUBLIC (INDIA)

13 JAN 2025

160

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जनपद अलीगढ़।

संख्या: 2357 /7–पं0 / प्र0स्था0 / ग्रा0पं0 / एन.जी.टी. / प्र0का0 / 2023–2024 / दिनांक: 31, जुलाई, 2024

1. जिला विकास अधिकारी,
2. जिला पंचायत राज अधिकारी,
3. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड,
4. अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,

जनपद अलीगढ़।

विषय:: मा.नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,न्यू दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या–745 / 2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य के कम में मौके पर स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,न्यू दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या–745 / 2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य दिनांक:02.01.2024 को सूचीबद्ध हुआ। ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या–745 / 2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य वाद / प्रकरण में ग्राम पंचायत अर्राना के ग्राम प्रधान, श्री डम्बर सिंह व खण्ड विकास अधिकारी, खैर व ज़िला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ व मुख्य विकास अधिकारी,अलीगढ़ व उप ज़िला मजिस्ट्रेट,खैर,अलीगढ़ एवं ज़िला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को प्रतिवादी बनाया गया है, जिसके अनुसार ग्राम अर्राना में दबंग ग्राम प्रधान द्वारा श्रीमती ममता देवी / शिकायकर्ता के घर के सामने नाली का ढाल विपरीत दिशा में करते हुए मनरेगा योजना के अन्तर्गत तालाब खुदाई करायी गयी है, जिसमें गांव का मल मूत्र युक्त पानी इकठ्ठा हो रहा है। शिकायकर्ता द्वारा नाली के पानी को सड़क की तरफ लाकर उसका विर्सजन आवासीय क्षेत्र से दूर किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल,न्यू दिल्ली के आदेशों के क्रम में उक्त प्रकरण के निस्तारण कराये जाने एवं समस्या का निस्तारण कैसे किया जा सकता है? के सम्बन्ध में उक्त प्रकरण का मौके पर शिकायकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए स्थलीय, अभिलेखीय निरीक्षण हेतु नामित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की जॉच कर संयुक्त हस्ताक्षरित सुस्पष्ट / तथ्यात्मक आख्या मय फोटाग्राफ सहित 01 सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

31/07/24

(आकांक्षा राना)
मुख्य विकास अधिकारी,
अलीगढ़।

संख्या: 2357 /7–पं0 / प्र0स्था0 / शिका0–जांच / ग्रा0पं0 / 2023–2024 / दिनांक: 31/07/24

प्रतिलिपि:ज़िला मजिस्ट्रेट महोदय,अलीगढ़ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– खण्ड विकास अधिकारी, खैर अलीगढ़।
3– सहायक विकास अधिकारी(पं0),खैर द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अलीगढ़।
4– सचिव / ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना, वि0ख0खैर, अलीगढ़ को जॉच में सहयोग हेतु
5– सचिव / प्रधान,ग्राम पंचायत अर्राना को इस निर्देश के साथ कि जांच अधिकारी को ग्राम पंचायत अर्राना के वांछित अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध कराते हुए जांच में पूर्ण सहयोग करें।
7– श्रीमती ममता शर्मा पत्नी श्री एच0सी0शर्मा, मो0नं0–9818100751, 9910991389 निवासी ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर जिला अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित। द्वारा स0वि0अ0(पं0)खैर।

31/07/24

मुख्य विकास अधिकारी,
अलीगढ़।

ANNEXURE-2

Annexure No. 4 Inspection Report

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ के निर्देश दिनांक 31.07.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शिकायती स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 07.08.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. शिकायतकर्ता श्रीमती ममता शर्मा द्वारा पूर्व में भी तालाब के सम्बन्ध में तहसील स्तर शिकायत पर की गयी थी, जिस पर उपजिलाधिकारी, खैर, अलीगढ़ व अन्य द्वारा जांच किया गया है **(संलग्नक–1)**।
2. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा संख्या–38 जो खतौनी में पीली मिटटी के नाम से दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग–3 बीघा है। इस गाटा में आंशिक गांव की आबादी है एवं लगभग–480 वर्गमीटर (12X40) क्षेत्रफल में तालाब बना हुआ है। उक्त तालाब गांव के अन्तिम बिन्दु पर स्थित है, जिसमें अलीगढ़–खैर मार्ग पर स्थित ग्राम–अर्राना के कुछ घरों का पानी एवं वर्षा ऋतु के दौरान बारिश का पानी भी नाली के माध्यम से तालाब में आता है। निरीक्षण के समय तालाब में आने से पहले नाली में फिल्टर चैम्बर/मेस बार के माध्यम से सॉलिड वेस्ट, पत्ते, पॉलिथीन आदि को पृथक कर लिया जाता है। शिकायतकर्ता का मकान तालाब के अन्तिम छोर से लगभग–10–12 मीटर की दूरी पर स्थित है। तालाब के अक्षांश–27.930367 एवं देशान्तर–77.884457 है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम प्रधान श्री डम्बर सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक दिनांक 28.04.2022 में सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के क्रम में तालाब का निर्माण मनरेगा के अन्तर्गत किया गया है।
4. निरीक्षण के समय तालाब के आस–पास एवं ग्राम अर्राना में कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक गतिविधि दृष्टिगोचर नहीं पायी गयी, जिससे प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह के तालाब में निस्तारित होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।
5. उक्त तालाब में स्टेट हाईवे संख्या–334D के दक्षिण दिशा में स्थित ग्राम अर्राना की आंशिक आबादी का घरेलू उत्प्रवाह बिना समुचित शोधन के एवं वर्षा का जल निस्तारित किया जाता है। ग्राम अर्राना की स्टेट हाईवे की दक्षिण दिशा में स्थित लगभग–18 घरों (आबादी 90) से निस्तारित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह की अनुमानित मात्रा लगभग–06 कि0ली0/दिन है। उक्त घरेलू सीवेज का उपचार बायो रेमिडेशन तकनीकी व अन्य सुलभ विधि से किया जा सकता है। उक्त तालाब में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी शोधन के किये जाने से तालाब की जल की गुणता प्रभावित होना स्वाभाविक है।
6. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 02.08.2024 को किये गये निरीक्षण के समय तालाब से एकत्रित उत्प्रवाह नमूने में प्रदूषणकारी प्रचालक बी0ओ0डी0 की मात्रा–52 मि0ग्रा0/ली0, टी0एस0एस0 की मात्रा–342 मि0ग्रा0/ली0 तथा डी0ओ0 की मात्रा–3.7 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है **(संलग्नक–2)**।
7. ग्राम अर्राना से प्रतिदिन जनित होने वाले घरेलू ठोस अपशिष्ट की मात्रा प्रति व्यक्ति 60 ग्राम/दिन के आधार पर लगभग–5.4 किग्रा0/दिन है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम अर्राना के

DA/DPRO
मु. वि. अधि. अलीगढ़ 28/8/24
D.P.R.O. 31.8.24

लगभग–5–6 घरों के व्यक्तियों द्वारा पाले गये पशुओं से जनित गोबर/अन्य वेस्ट 25–30 कि0ग्रा0/दिन/प्रतिपशु की दर से लगभग–200 कि0ग्रा0/दिन जनित होता है, जिसको ग्रामीणों द्वारा कम्पोस्ट खाद बनाये जाने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता के मकान के सामने ग्राम पंचायत की उक्त जमीन गाटा संख्या–38 पर 05–06 घूरे (गोबर/वेस्ट के ढ़ेर) तथा उपलों के ढ़ेर बनाये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्री डम्बर सिंह द्वारा सूचित किया गया कि उक्त घूरे शिकायतकर्ता के निर्मित मकान से पूर्व से बने हैं।

8. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 02.08.2024 को किये गये निरीक्षण के समय तालाब के समीप स्थित श्रीमती शकुन्तला देवी के आवास के पास स्थापित हैण्ड पम्प का जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला में जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्या संलग्न है (संलग्नक–3)।
9. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का मकान दिनांक 14.02.2018 तक उक्त स्थल पर स्थापित नहीं था, बल्कि ग्रामवासियों द्वारा शिकायती स्थल पर गोबर डाला जाता था। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 14.02.2018)

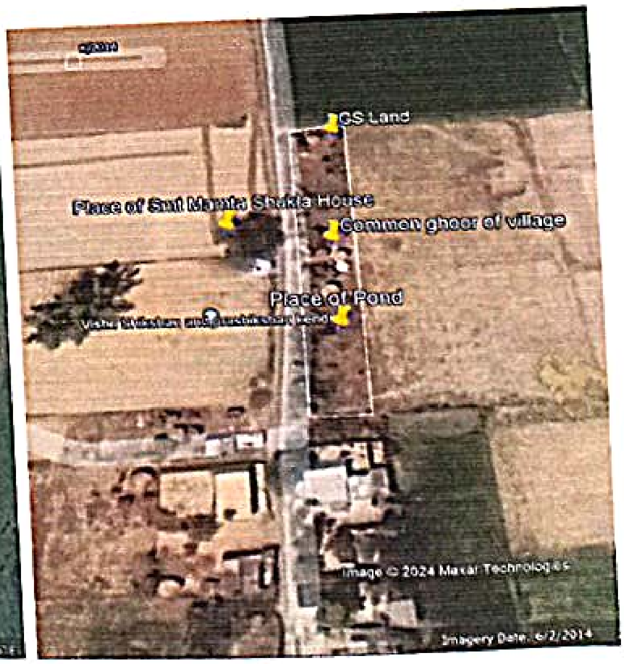

(गूगल सैटेलाइट इमेज जून, 2014)

2 | 4

(निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के फोटोग्राफ)

निष्कर्ष–

- ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या–38 पर ग्रामीणों द्वारा गोबर/उपले/कूडे का भण्डारण शिकायतकर्ता के मकान के निर्माण वर्ष 2018–19 से पूर्व से ही किया जा रहा है।
- मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2022 में ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या–38 पर लगभग–480 वर्गमीटर (12X40) क्षेत्रफल में तालाब का निर्माण किया गया है।
- निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा गाटा संख्या–38 पर निर्मित तालाब में आशोधित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण किये जाने एवं उनके घर के सामने कूडे के निस्तारण से गन्दगी, की समस्या से अवगत कराया गया।

संस्तुति

- गाटा संख्या–38 पर भण्डारित कूडे को अन्यत्र आबादी से दूर नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार एम0आर0एफ0 के माध्यम से निस्तारण किये जाने की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव अर्राना द्वारा नियमानुसार किया जाये।
- तालाब का उपयोग ग्रामसभा के वर्षा जलसंचय के रूप में पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर किया जा सकता है।
- तालाब में भण्डारित अशोधित घरेलू उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये।
- ग्रामसभा अर्राना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्प्रवाह को पृथक करते हुए, बायो रेमिडेशन, एस0टी0पी0 अथवा लीच पिट के माध्यम से आवश्यक शुद्धिकरण करने के उपरान्त, भण्डारित पानी को ग्राम अर्राना के किसानों से अनुबन्ध कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये, जिस हेतु पृथक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाये।
- उक्त तालाब के आस–पास आवश्यक साफ–सफाई कराया जाये तथा पर्याप्त मात्रा में छायादार वृक्षों का रोपण किया जाये।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति आपके अवलोकनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अलीगढ़	(उपेन्द्र प्रसाद) सहायक पर्यावरण अभियन्ता उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़	(धनंजय जायसवाल) जिला पंचायत राज अधिकारी अलीगढ	जिला विकास अधिकारी अलीगढ

10. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का मकान दिनांक 02.04.2019 में बन गया था, परन्तु तालाब का निर्माण दिनांक 25.03.2022 तक नहीं हुआ था। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

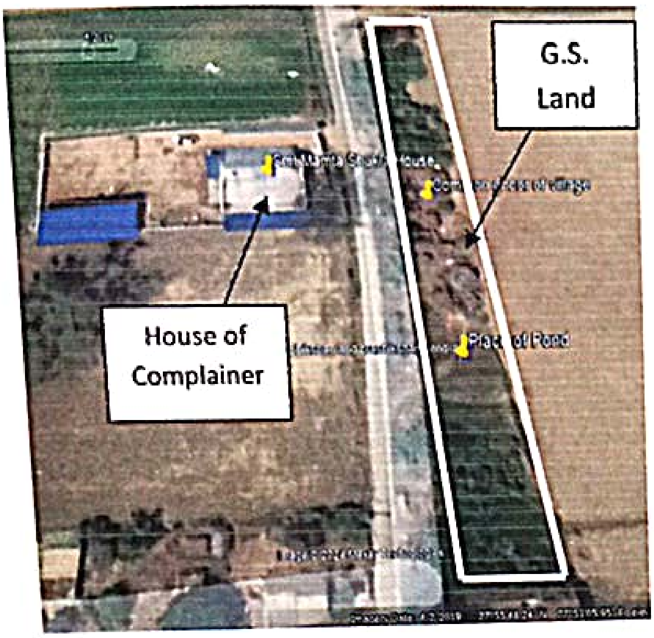

(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 02.04.2019)

(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 25.03.2022)

11. गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022 एवं निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के समय तालाब एवं फिल्टर चैम्बर का निर्माण कर लिया गया। निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के समय तालाब के किनारे वृक्षारोपण पाया गया। निरीक्षण एवं गूगल सैटेलाइट के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

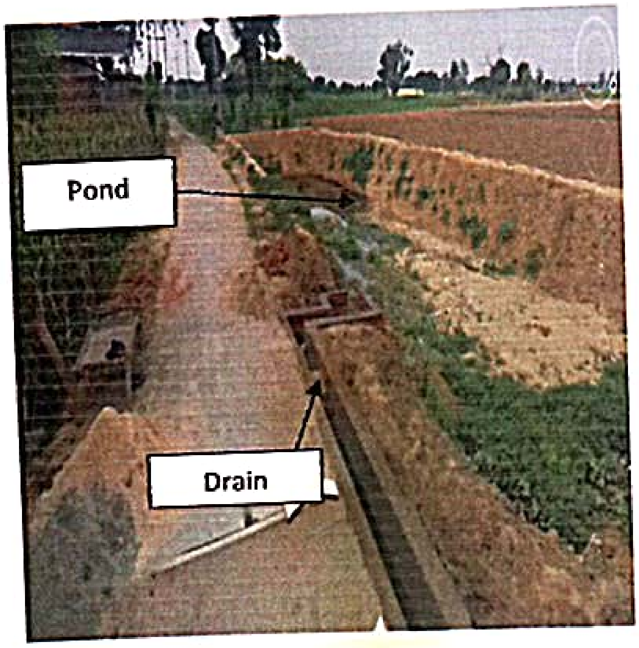

(गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022)

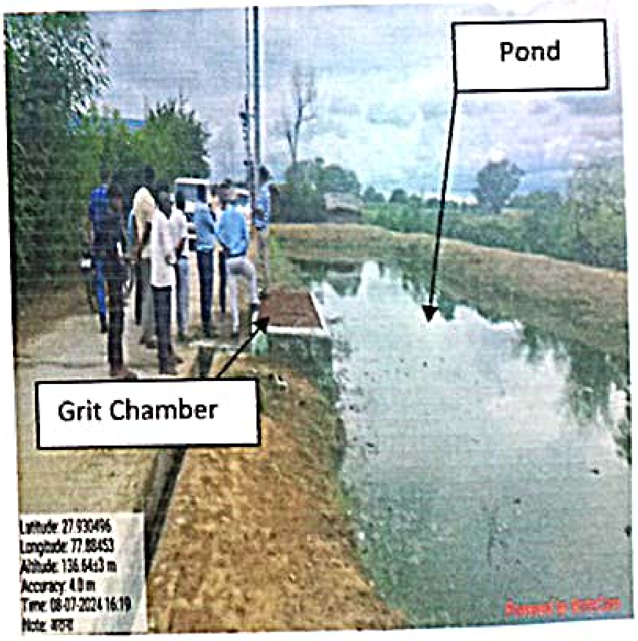

(निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के फोटोग्राफ)

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ।

पत्रांक 2827 7/पं0/प्र0स्था0/2024—25 दिनांक 24.08.2024

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी महोदय अलीगढ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

2— मुख्य विकास अधिकारी महोदया अलीगढ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

3— खण्ड विकास अधिकारी खैर को अनुपालनार्थ।

4— प्रधान व सचिव ग्रा0पं0 अर्राना विकास खण्ड खैर को अनुपालनार्थ।

जिला पंचायत राज अधिकारी
अलीगढ।

5।

ANNEXURE-3

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–5/931/2022–5/ /20... लखनऊ दिनांकः25 अगस्त, 2022

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत सिल्ट कैचर व फिल्टर चेम्बर के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 20 व 21.08.2022 को झांसी मण्डल का भ्रमण SBM टीम द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें ODF प्लस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, सभी ग्राम प्रधानों एवं सचिवों से वार्ता की गई, साथ ही क्षेत्र भ्रमण भी किया गया।

भ्रमण के दौरान डकोर ग्राम पंचायत, जालौन में सिल्ट कैचर/फिल्टर चेम्बर की लगाई गई तकनीक गलत थी, इस सम्बंध में पूर्व में भेजी गई ड्रॉइंग के अतिरिक्त नवीन मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट तैयार किया गया है। जिसे जनपदों द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थल की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति एवं बड़े/छोटे ड्रेनेज की आवश्यक्ता के अनुसार संशोधित कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार सिल्ट कैचर एवं फिल्टर चेम्बर के मॉडल डिजाईन, ड्राइंग व एस्टीमेट पत्र के साथ संलग्न कर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से निर्मित/मरम्मत कराने के आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

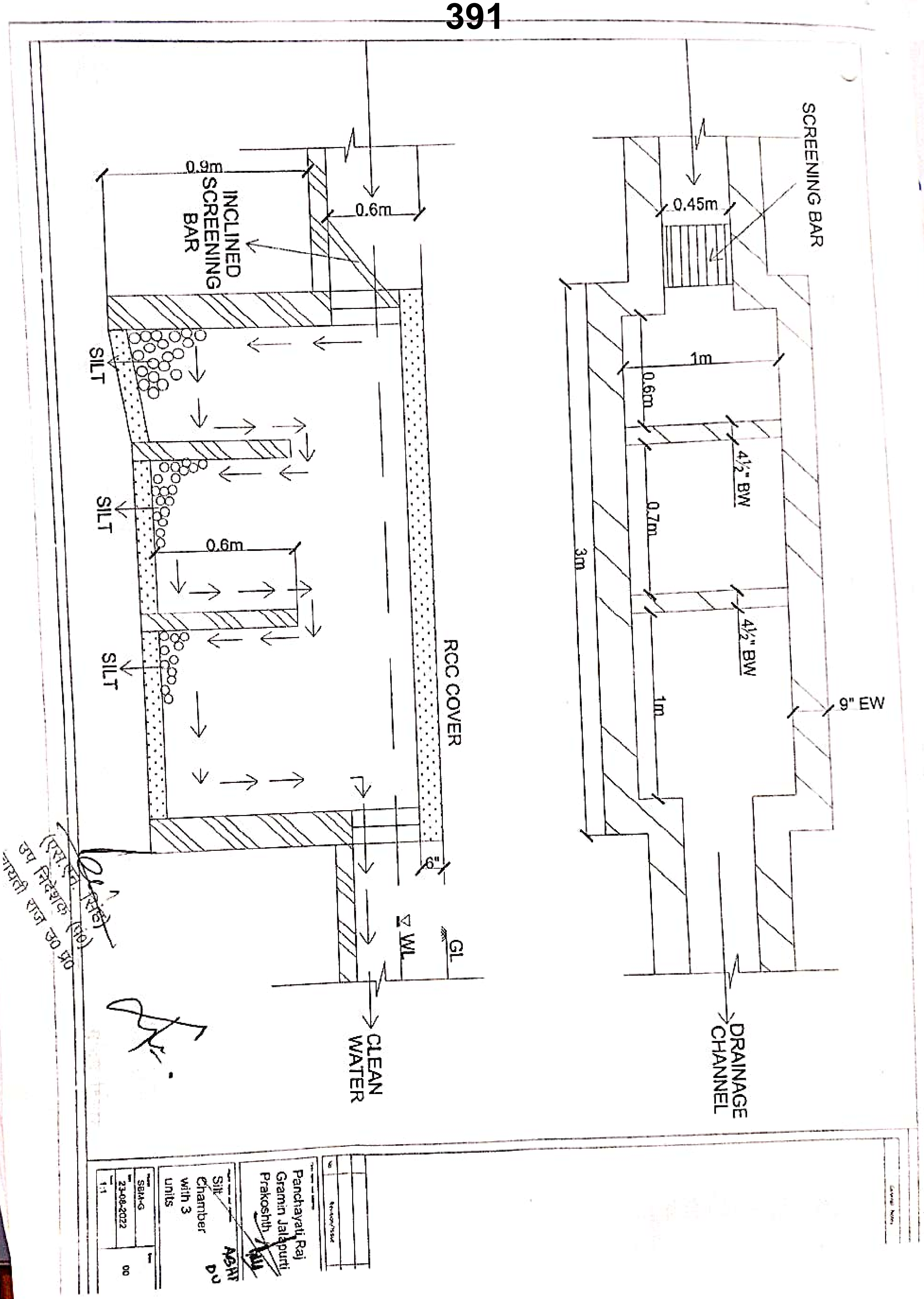
SCREENING BAR
0.45m
1m
0.6m
4½" BW
0.7m
3m
4½" BW
1m
9" EW
DRAINAGE CHANNEL
0.9m
INCLINED SCREENING BAR
0.6m
SILT
SILT
0.6m
SILT
RCC COVER
6"
WL
GL
CLEAN WATER
(एस.पी. सिंह)
उप निदेशक (पं)
पंचायती राज उ0 प्र0
Panchayati Raj Gramin Jalapurti Prakoshth
Silt Chamber with 3 Units
SBM-G
23-08-2022
1:1
00

ANNEXURE-4

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16-07-2024 के सम्बन्ध में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या

कृपया उपर्युक्त विषयक के माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,न्यू दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या-745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में दिनांकः 16.07.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:-

1- Discharge of liquid waste in the village on open land which is near the residence of applicant is grievance raised in this original application. It is stated that the said discharge is in violation of Section 24 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as 'Water Act, 1974') and Management of Solid waste is also an issue raised in this matter. It is said that provisions of environmental laws are being violated.

2. From reply submitted by respondent 1, it is evident that sewage is being discharged on open land, where, now a pond has developed due to collection of liquid waste causing damage to environment. No steps for remediation in accordance with law have been taken by respondent 1 till date, though in law, it is respondent 1 who is responsible for maintenance of sewers/sewage system

3- Similarly, for Handling, Treatment and Disposal of Solid Waste under Rule 15 of Solid Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as 'SWM Rules, 2019'), respondent 1 is responsible but it is said that solid waste is being dumped on a dumping centre and there is nothing on record to show that the said dumping centre is authorized in accordance with SWM Rules, 2016.

4- It is thus evident that here is a case where environmental laws are being violated everyday by respondent 1 and no responsible officer has taken any action which includes Chief Development Officer, Block Development Officer and also the Pradhan of Gram Panchayat, Arran, Tehsil Khair, Aligarh.

5. Mr. Dambar Singh, Gram Pradhan, Gram Panchayat, Arrana is present. On being questioned as to why prosecution should not be directed to be initiated against Pradhan Gram Panchayat; Chief Development Officer and Block Development Officer for violation of environmental laws besides, he made statement through counsel that he will take appropriate steps to remediate the situation and comply with environmental laws and norms within two months.

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी के पत्र संख्या 2357 दिनांक 31 जुलाई,2024 द्वारा जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की समिति गठित करते हुए मौके पर शिकायत कर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए स्थलीय अभिलेखीय परीक्षण कर तथ्यात्मक आख्या अनुपालन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

तद्क्रम में समिति द्वारा दिनांक 24-08-2024 को निष्कर्ष के साथ दी गई पांच विन्दुओं पर की गयी संस्तुति पर ग्राम पंचायत अर्राना के प्रधान व सचिव द्वारा पूर्व रूप अनुपालन कराया जा चुका है, जिसकी अनुपालन आख्या खण्ड विकास अधिकारी खैर के पत्र संख्या-920 दिनांक 08.10.2024 **(संलग्नक-1)** द्वारा निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है:-

निष्कर्षः-

1- ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 38 पर ग्रामीणों द्वारा गोबर/उपले/कूडे का भण्डारण शिकायतकर्ताओं के मकान कि निर्माण वर्ष 2018-19 से पूर्व से ही किया जा रहा है।

2- मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2022 में ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 38 पर लगभग 480 वर्गमीटर (12×40) क्षेत्रफल में तालाब का निर्माण किया गया है।

3- निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा गाटा संख्या 38 पर निर्मित तालाब में आशोधित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण किये जाने एवं उनके घर के सामने कूडे के निस्तारण से गन्दगी की समस्या से अवगत कराया गया।

संस्तुतिः-1 मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ द्वारा गठित कमेठी दिनांक 21.07.2024 द्वारा शिकायती तालाब का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 को किया गया था। संयुक्त निरीक्षण आख्या में दिये गये संस्तुति के विन्दु सं0-01 शिकायती तालाब गाटा सं0-38 पर भण्डारित कूडे को अनियत्र आबादी से दूर नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियमावली-2016 के प्रावधान के अनुसार एम0आर0एफ0 के माध्यम से निस्तारित किये जाने की कार्यवाही ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव अर्राना द्वारा नियमानुसार किया जाए।

उक्त सुझाव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0-1040 दिनांक 22.06.2021 के प्राविधानों के अनुरूप ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा प्रश्नगत गाटा सं0-38 पर भण्डारित कूडे को ग्राम पंचायत में निर्मित आर0आर0सी0 पर ले जाकर निस्तारण/प्रबन्धन का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है, इस प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली-2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

संस्तुतिः-2 तालाब का उपयोग ग्राम सभा के वर्षा के जल संचय के रूप में पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर किया जा सकता है।

उक्त सुझाव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा ग्राम सभा के घरों में स्थापित शौचालय से निकलने वाले उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु पृथक से क्लोज ड्रेनेज पाईप से लीच पिट में ले जाने की व्यवस्था की गयी है तथा नहाने धोने एवं अन्य कार्य से निकलने वाले पानी को पूर्व से ओपन निर्मित नाली के माध्यम से तालाब तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में घरों से निकलने वाले घरेलू उत्प्रवाह एवं शौचालय से निकलने वाले उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु पृथक-पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(फोटोग्राफ संलग्न)

संस्तुतिः—3 तालाब में भण्डारित अशोधित घरेलू उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये।

उक्त सुझाव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा ग्राम सभा के घरों में स्थापित शौचालय से निकलने वाले उत्प्रवाह निस्तारण हेतु पृथक से ड्रेनेज पाईप की स्थापना की गयी है तथा उक्त पाईप लाईन के माध्यम से आने वाले उत्प्रवाह का सोधन हेतु लीच पिट स्थापित की गयी है। (फोटो ग्राफ संलग्न है)। ग्राम सभा के घरों से नहाने धोने आदि द्वारा जनहित पानी को पृथक से ओपन नाली के माध्यम से ग्रिट चेम्बर में लाया जाता है। ग्रिट चेम्बर के बाद पानी को उक्त तालाब में एकत्रित किया जा रहा है। तालाब के आस–पास कोई प्राकृतिक नाला न होने के कारण तालाब में निश्चित मात्रा में पानी एकत्रित होने पर तालाब के पानी से आस–पास के किसानों को सिंचाई हेतु दिया जायेगा। जिस हेतु आस–पास के किसानों से सहमति भी ली गयी है सहमति पत्र की **(छायाप्रति संलग्न है)**

संस्तुतिः—4 ग्राम सभा अर्राना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्प्रवाह को पृथक करते हुए बायो रेमिडेशन, एस0टी0पी0 अथवा लीच पिट के माध्यम से आवश्यक शुद्धिकरण करने के उपरान्त,भण्डारित पानी को ग्रान अर्राना के किसानों से अनुबन्ध कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये,जिस हेतु पृथक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाये।

उक्त सुझाव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा ग्राम सभा के घरों में स्थापित शौचालय से निकलने वाले उत्प्रवाह निस्तारण हेतु पृथक से क्लोज ड्रेनेज पाईप की स्थापना की गयी है तथा उक्त पाईप लाईन के माध्यम से आने वाले उत्प्रवाह के शोधन हेतु वर्तमान में लीच पिट स्थापित कर ली गयी है **(फ़ोटोग्राफ संलग्न)**

संस्तुतिः—5 उक्त तालाब के आस–पास आवश्यक साफ–सफाई कराया जाये तथा पर्याप्त मात्रा में छायादार वृक्षों का रोपण किया जाये।

उक्त सुझाव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा तालाब के आस–पास पर्याप्त साफ–सफाई करा दी गई है। भण्डारित कूडा/गोबर के कंडे को हटवा दिया गया है,अस्थाई बने हुए कूडाघर को विलुप्त घोषित करते हुए इस स्थान पर कूड़ा/गोबर आदि न डालने हेतु ग्रामवासियों को सूचना बोर्ड के माध्यम से सूचित करा दिया गया है। तालाब के किनारे जन उपयोगार्थ बैन्च स्थापित कर दी गई हैं। पर्यावरण अनुकूलित कैनीप्लान्ट का वृक्षारोपण करा दिया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न)

उपरोक्त आख्या एवं जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के पत्र संख्या 5866 दिनांक 17 फरवरी,2024 द्वारा मा0 ट्रिब्यूनल को प्रेषित बिन्दुवार आख्या से स्थिति निम्नानुसार हैः–

1– तरल अपशिष्ट को ग्राम में खुले भूमि में नही निस्तारित किया जा रहा है, जो कि गाटा संख्या 38 के लगभग 480 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के तालाब में फिल्टर चेम्बर से होते हुए निस्तारित हो रहा है।

2– ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) फेज–2 अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 1040 दिनांक 22 जून,2021 द्वारा निर्गत गाईल लाइन के अनुसार कचरे को एकत्रित कर आर0आर0सी0 पर प्रबन्धन किया जा रहा है।

उपरोक्त खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त आख्या को संज्ञानित करने से स्पष्ट है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित समिति के संस्तुतियों का अनुपालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा कराया जा चुका है। वर्तमान में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन नही हो रहा है। उपरोक्त आख्या एवं आख्या के साथ उक्त संदर्भित तालाब की वर्तमान के आस–पास की गई कार्यवाही का स्थलीय वर्तमान फोटो के साथ कृत कार्यवाही से मा0 ट्रिब्यूनल को अवगत कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः—यथोक्त।

(इं0 एस0पी0 राव)	(उपेन्द्र प्रसाद) 8/10/24	(धनंजय जायसवाल) 8/10/24	(आलोक आर्य)
अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अलीगढ़	सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़	जिला पंचायत राज अधिकारी अलीगढ़।	जिला विकास अधिकारी अलीगढ़।

C.S 08/10/24 RO UPPCB

संख्याः 3721 /7–पं0/प्र0स्था0/ग्रा0पं0/एन.जी.टी./प्र0का0/2024–2025/दिनांकः 09-10-2024

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य विकास अधिकारी महोदया, अलीगढ़ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– ज़िला मजिस्ट्रेट महोदय, अलीगढ़ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज अधिकारी
अलीगढ़।

ANNEXURE-5

REGIONAL OFFICE
U.P POLLUTION CONTROL
GHAZIABAD

ANALYSIS REPORT DRAIN SAMPLE ALIGARH

Collected by- -Vinod Kumar Sharma (Village Development Officer),Upendra Prasad (A.E.E.), Jitendra Sharma (L.A.)
Sample Date- 06-11-2024

S.no	Date	Sampling Point	pH	Color	Odour	D.O. mg/l	B.O.D mg/l	C.O.D mg/l	TSS mg/l	TDS mg/l	TS mg/l	TC MPN/ 100 ml	FC MPN/1 00 ml
1.	06-11-2024	Village Arrana drain sample before grit chamber, Aligarh	7.20	Colorless	Odorless	Nil	44.0	132.0	130	1098	1228	28×10^4	22×10^4

J.R.F   S.A.   A.S.O

R.O

REGIONAL OFFICE
U.P POLLUTION CONTROL
GHAZIABAD

ANALYSIS REPORT POND SAMPLE ALIGARH

Collected by- Vinod Kumar Sharma (Village Development Officer),Upendra Prasad (A.E.E.), Jitendra Sharma (L.A.)
Sample Date- 06-11-2024

S.no	Date	Sampling Point	pH	Color	Odour	D.O. mg/l	B.O.D mg/l	C.O.D mg/l	TSS mg/l	TDS mg/l	TS mg/l	TC MPN/100 ml	FC MPN/100 ml
1.	06-11-2024	Village Arrana Pond sample after grit chamber, Aligarh	7.25	Colorless	Odorless	4.5	12.0	38.0	110	1052	1162	$34x10^2$	$27x10^2$

J.R.F

S.A.

A.S.O

R.O

REGIONAL OFFICE
U.P POLLUTION CONTROL BOARD
GHAZIABAD

ANALYSIS REPORT OF HEAVY METALS ALIGARH

Collected by- Kumar Sharma (Village Development Officer),Upendra Prasad (A.E.E.), Jitendra Sharma (L.A.)
Sample Date- 06-11-2024

S.No	Sampling Point	Date	Fe	Pb	T.Cr	Ni	Cu	Zn
1.	Village Arrana Pond sample after grit chamber, Aligarh	06-11-2024	0.05	ND	0.02	ND	ND	ND
		Standard	3.0	0.1	2.0	3.0	3.0	5.0

J.R.F | S.A. | A.S.O

R.O

OFFICE OF THEW EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, U.P. JAL NIGAM (URBAN) ALIGARH

CAMP : 45 MLD SBR STP, MATHURA ROAD, ALIGARH
CHEMICAL ANALYSIS REPORT

No. 04 / Test Report / Dated : 09.12.2024

Source G.P. Arrana Drain Agency ....

Sample Code.............................. Collected By V.D.O G.P. Arrana

Samples Date 06.12.2024

Inlet

Sl. No.	Parameters	Results	Remarks
1	pH	7.35	
2	Color	Colourless	
3	Odour	Odourless	
4	D.O. mg/l	Nil	
5	B.O.D. mg/l	52	
6	C.O.D. mg/l	162	
7	TSS mg/l	180	
8	TDS mg/l	1136	
9	TS mg/l	1316	
10	TC MPN/100 ml	38x104	
11	FC MPN/100 ml	32x104	

Note : All value expected Ph are in mg/l

Remarks :

Chemist : Ravi Paul

Junior Engineer :

Seen By :

Assistant Engineer :

Scanned with OKEN Scanner

OFFICE OF THEW EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, U.P. JAL NIGAM (URBAN) ALIGARH

CAMP : 45 MLD SBR STP, MATHURA ROAD, ALIGARH
CHEMICAL ANALYSIS REPORT

No. 03 / Test Report / Dated : 09.12.2024

Source G.P. Arrana Pond
Agency ....
Sample Code..............................
Collected By V.D.O G.P. Arrana
Samples Date 06.12.2024

Outlet

Sl. No.	Parameters	Results	Remarks
1	pH	7.47	
2	Color	Colourless	
3	Odour	Odourless	
4	D.O. mg/l	4.3	
5	B.O.D. mg/l	15	
6	C.O.D. mg/l	45	
7	TSS mg/l	126	
8	TDS mg/l	1050	
9	TS mg/l	1176	
10	TC MPN/100 ml	29 x 10^2	
11	FC MPN/100 ml	19 x 10^2	

Note : All value expected Ph are in mg/l

Remarks :

Chemist : Ravikant

Junior Engineer :

Seen By :

Assistant Engineer :

Scanned with OKEN Scanner